

प्रोफॉर्मा भरने के लिए अनुदेश

I : प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया जाना है

- क. नए बैंकिंग आउटलेट्स (बीओ) खोलना जैसे पक्की इमारती शाखा (बीएंडएम) ब्रांच / स्थायी पाइंट बीसी आउटलेट / कार्यालय/ एनएआईओ/ अन्य स्थायी ग्राहक सेवा पाइंट (सीएसपी) अर्थात बीओ के अलावा अन्य एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, अन्य ग्राहक सेवा आदि।
- ख. एक योजनाबद्ध बैंकिंग आउटलेट (बीओएम शाखा/ स्थायी पाइंट बीसी आउटलेट)/ कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों)एनएआईओ/ अन्य स्थायी ग्राहक सेवा पाइंट (सीएसपी) अर्थात बीओ के अलावा अन्य एटीएम आदि (इस मामले में पार्ट I कूट जनरेट नहीं होगा)।
- ग. मौजूदा बैंकिंग आउटलेट / कार्यालयों / एनएआईओ / सीएसपी की स्थिति / डाक पते, बंद / विलय / रूपांतरण / स्थानांतरण / उन्नयन आदि में परिवर्तन की रिपोर्टिंग के लिए।

II. यूएनसी (एकसमान कूट नंबर) दो भागों की होती है, - 7 अंकों का भाग - I कूट तथा भाग - II कूट।

क. भाग - I कूट निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :

i वाणिज्यिक बैंकों के बीओएम शाखाओं/ कार्यालयों तथा अखिल भारतीय वित्त तीय संस्थाओं (एआईएफआई) 7 अंकों का एलफान्युमरिक कूट:

- ❖ बायें से पहले तीन अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले चार अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।

ii राज्य/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, राज्य/केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के लिए 7 अंकों का एलफान्युमरिक कूट:

- ❖ बाएं से पहले चार अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले तीन अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।

iii अनय सहकारी बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों के लिए 7 अंकों का एलफान्युमरिक कूट:

- ❖ बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले दो अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।

IV गैर-प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय (एनएआईओ - अस्थायी कार्यालय), जैसे स्टैंड-अलोन एक्सटेंशन काउंटर / सैटेलाइट कार्यालय / प्रतिनिधि कार्यालय / कैश काउंटर / इंस्पेक्टर / संग्रह काउंटर / मोबाइल कार्यालय / एयरपोर्ट काउंटर / होटल काउंटर / एक्सचेंज ब्यूरो: 16 अंक (16 वर्ण कूट में से पहले 5 स्थान बैंक कूट के लिए आरक्षित हैं (यदि बैंक कोड 5 अंक से कम है, तो बाएं स्थानों को 0 से जोड़ा जाएगा) अगले 3 अंक "एनएआईओ" और फिर शेष 8 स्थानों के लिए अल्फान्युमरिक होंगे। प्रत्येक एनएआईओ कुछ स्वतंत्र बीओ से जुड़ा है - भाग- I बीओ का कोड प्रदान किया जाना चाहिए)।

V एटीएम, अन्य निश्चित ग्राहक सेवा प्वाइंट: 16 अंक (फिक्स्ड प्वाइंट बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट आउटलेट के लिए 16 वर्णों का नया बीएसआर कोड, एटीएम / सीएसपी (16 वर्ण कोड जिसमें बैंक कोड शामिल होगा, उसके बाद

स्ट्रिंग या "एटीएम" या "सीएसपी शेष 8 स्थानों के लिए अल्फान्यूमेरिक। 16-वर्ण कोड में से पहले 5 स्थान बैंक कोड के लिए आरक्षित हैं, यदि बैंक कोड 5 अंकों से कम है तो बाएं स्थानों को 0 से जोड़ा जाएगा।)

ख. भाग - II कूट को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे 'बैंकों' की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों:

- ❖ बाएं से पहले तीन अंक जिला कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले तीन अंक जिले के भीतर राजस्व केंद्र कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अंतिम एकल अंक जनसंख्या दायरा कूट दर्शाता है।

III. हालांकि, मेले/ प्रदर्शनी स्थल, आदि पर खोले गए अस्थायी कार्यालय के लिए प्रोफार्मा को प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

IV. सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को पूर्ण प्रोफार्मा जमा करने के बाद ही सिस्टम के माध्यम से भाग- I और भाग- II कूट जेनरेट किया जाना है। कोई भी बैंक भाग- I कूट को प्री-असाइन नहीं कर सकता है।

V. एक एनएआईओ को एक पूर्ण बीओरएम शाखा/ कार्यालय या इसके विपरीत, उन्नयन को रूपांतरण के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, रूपांतरण के लिए प्रोफार्मा आवेदन में भरा जाना चाहिए। रूपांतरण के बाद, पुराना रिकॉर्ड बंद हो जाएगा और नई इकाई के लिए नया भाग- I कूट जेनरेट होगा।

VI. सिस्टम में अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

VII. एक बार जानकारी प्रस्तुत किए जाने के बाद, उसे हटाया नहीं जा सकता। यह केवल सिस्टम में उपलब्ध सूचना के साथ अद्यतन किया जा सकता है।

VIII. जनसंख्या दायरा कूट तथा जनसंख्या समूह कूट के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :

एकसमान कूट संख्या के भाग II का अंतिम अंक (जनसंख्या दायरा कूट)	जनसंख्या का दायरा	टियर	जनसंख्या ग्रूप	जनसंख्या ग्रूप कोड
1	4999 तक	6	ग्रामीण	1
2	5000 से 9999	5		
3	10,000 से 19,999	4	अर्ध शहरी	2
4	20,000 से 49,999	3		
5	50,000 से 99,999	2		
6	1,00,000 से 1,99,999	1	शहरी	3
7	2,00,000 से 4,99,999	1		
8	5,00,000 से 9,99,999	1		
9	10 लाख और अधिक	1	मेट्रोपोलिटैन	4

प्रपत्र के मदों का विवरण

मद सं 1:

लॉगिन क्रेडेंशियल पर निर्भर। बैंक कूट, बैंक का नाम, बैंक श्रेणी और बैंक समूह को सिस्टम द्वारा केवल रीड ओनली मोड में प्रदर्शित किया जाएगा।

मद सं 2

मौजूदा को अद्यतन करने या नए को जोड़ने के लिए ड्रॉपडाउन मेनू से चुना जाना है।

मद सं 3.1 और 3.2

यदि प्रोफार्मा, भाग- 1 कोड इकाई के आधार पर मौजूदा इकाई में जानकारी अद्यतन करने के लिए है, को चुना जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार जानकारी को परिवर्तन की प्रभावी तिथि के साथ अद्यतन किया जा सकता है।

मद सं 4

भाग- 1 कूट के आधार पर, इकाई का चयन किया जा सकता है और बीओ को कार्यालय, बीओ से एनएआईओ या कार्यालय से एनएआईओ या इसके विपरीत में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए और रूपांतरण की प्रभावी तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

मद सं. 5.1 & 5.2:

यदि प्रोफार्मा नए बैंकिंग आउटलेट, यानी बी एंड एम ब्रांच या फिक्स्ड-पॉइंट बीसी आउटलेट के लिए है, तो बैंकिंग आउटलेट के प्रकार का चयन किया जाना चाहिए।

मद सं. 5.1.1:

बी और एम ब्रांच घरेलू हो या विदेशी, उसे चुनने की जरूरत है

मद सं. 5.2.1:

चाहे फिक्स्ड-पॉइंट बीसी आउटलेट कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत हो, का चयन किया जाना चाहिए

मद सं. 5.2.3:

यदि उपलब्ध हो, तो आईबीए पंजीकरण संख्या प्रदान की जानी चाहिए।

मद सं. 5.3:

फिक्स्ड-पॉइंट बीसी आउटलेट बेस / नियंत्रण के लिए बीओ पार्ट-1 कूट, यदि लागू हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

मद सं. 6:

यदि प्रोफार्मा नए कार्यालय के लिए है, तो कार्यालय का प्रकार 6.2, 6.3, 6.4 6.5, 6.6 से चुना जाना चाहिए। यदि किसी अन्य प्रकार का है जिसका उल्लेख यहां नहीं किया गया है तो 6.7 का चयन करते हुए इसकी गतिविधि के विवरण का उल्लेख किया जाना है। यदि प्रशासनिक कार्यालय, 6.2 में वर्णित है, और 6.3,6.4,6.5 या 6.6 में वर्णित कोई भी गतिविधि करता है, तो 6.2 का चयन किया जाना है और तदनुसार, उनके द्वारा निष्पादित गतिविधियों को 16.2 में चुना जाना है।

मद सं.7

यदि प्रोफार्मा नए एनएआईओ के लिए है, तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 से एनएआईओ का सही प्रकार चुना जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के एनएआईओ के लिए अलग प्रोफार्मा जमा करना होगा। यदि किसी अन्य प्रकार

के एनएआईओ का उल्लेख यहां नहीं किया गया है, तो 7.7 को चयनित करने की आवश्यकता है और एनएआईओ और इसकी गतिविधि के विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

एनएआईओ वे कार्यालय हैं जिनके लिए अलग-अलग बही खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है और उन्हें आरबीआई को बीएसआर रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। बेस बीओ / कार्यालय का नाम और इसकी यूनिफॉर्म कूट संख्याएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिनके साथ एनएआईओ के खातों को बनाए रखा जाएगा।

मद सं.7.8:

आधार बीओ / कार्यालय के भाग- I कूट का उल्लेख किया जाना है।

मद सं. 8:

यदि प्रोफार्मा नए अन्य निश्चित स्थान सीएसपी के लिए है, तो निश्चित स्थान ग्राहक सेवा बिंदु (CSP) से चयनित किए जाने की आवश्यकता है।

मद सं. 8.1:

सेवा का मोड जिसके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक (8.1.1) या मैनुअल (8.1.2) का चयन करने की आवश्यकता है।

मद सं.8.1.1.1, 8.1.1.2, 8.1.1.3, 8.1.1.4 & 8.1.1.5:

यदि सेवा का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक (8.1.1) चुना गया है, तो एटीएम (8.1.1.1), सीआरएम (8.1.1.2), सीडीएम (8.1.1.3), इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क (8.1.1.4), ई-लॉबी (8.1.1.5) से इलेक्ट्रॉनिक सेवा का चयन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सेवा के लिए, अलग प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा।

मद सं. 8.1.1.6:

यदि इलेक्ट्रॉनिक फिक्स्ड लोकेशन सीएसपी किसी अन्य गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है जो यहां नहीं बताया गया है, तो अन्य (8.1.1.6) का चयन करने की आवश्यकता है और इस गतिविधि के विवरण का उल्लेख किया जाना है।

मद सं. 8.1.2.1:

यदि नियत स्थान सीएसपी मैनुअल मोड के माध्यम से सेवाएं दे रहा है, तो आइटम नं. 8.1.2.1 को चुने जाने की आवश्यकता है।

मद सं.8.1.3:

फिक्स्ड लोकेशन सीएसपी चाहे ऑनसाइट / ऑफ-साइट हो, सही स्थिति को टिक करने की आवश्यकता है।

मद सं.8.2:

बेस बीओ / कार्यालय के भाग- I कूट यदि लागू हो तो का उल्लेख किया जाना चाहिए।

मद सं.9.1:

बैंकिंग आउटलेट / कार्यालय / एनएआईओ / अन्य निश्चित स्थान सीएसपी का नाम लिखा जाना है।

मद सं.9.2:

यदि बैंक को सामान्य अनुमति के तहत बैंकिंग आउटलेट / कार्यालय / एनएआईओ / अन्य फिक्स्ड लोकेशन सीएसपी खोलने की अनुमति है, तो सिस्टम स्वचालित रूप से चयन करेगा और ऐसे बैंकों को 9.3, 9.4, 9.5 और 9.6 को भरने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा "प्राधिकरण/ अनुमोदन/ लाइसेंस सहित" का चयन किया जाना चाहिए।

मद सं.9.3:

लाइसेंस/ प्राधिकरण संख्या, यदि पहले से ही उपलब्ध है (जैसा कि संबंधित केंद्रीय/ क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई से प्राप्त किया गया है) लिखा जाना है, अन्यथा बाद में उसी को अद्यतन किया जाना चाहिए।

मद सं.9.4:

लाइसेंस / प्राधिकरण की सटीक तारीख लिखी जानी है।

मद सं.9.5 & 9.6:

बीओ/ कार्यालय/ एनएआईओ/ अन्य फिक्स्ड लोकेशन सीएसपी लाइसेंस जारी करने की तारीख से आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राधिकरण या तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद खोला जाता है, तो कृपया उल्लेख करें कि लाइसेंस का पुनः सत्यापन हुआ था या नहीं और यदि पुनः सत्यापित है तो कृपया संदर्भ संख्या और पुनः सत्यापन की तारीख का उल्लेख करें।

मद सं.9.7:

यदि यह मुद्रा तिजोरी के रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो लिंकड मुद्रा तिजोरी (बीओ/ ऑफिस) के पार्ट- I कूट का उल्लेख किया जाना है।

मद सं.10:

बैंकिंग आउटलेट/ कार्यालय/ एनएआईओ/ अन्य निश्चित स्थान सीएसपी के चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (एमआईसीआर) कोड का उल्लेख किया जाना है।

मद सं.11:

बैंकिंग आउटलेट/ कार्यालय/ एनएआईओ/ अन्य निश्चित स्थान सीएसपी के भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) का उल्लेख किया जाना है।

मद सं.12:

बैंक के आंतरिक प्रणाली (सीबीएस) बैंकिंग आउटलेट/ कार्यालय/ एनएआईओ / अन्य निश्चित स्थान सीएसपी के कोड का उल्लेख किया जाना है।

मद सं.13.1, 13.2, 13.3, 13.4 & 13.5:

ड्रॉप-डाउन मेनू से देश, राज्य, जिला, उप-जिला और राजस्व केंद्र का नाम चुना जाना है। विदेशी बैंकिंग इकाई के मामले में, केवल देश का नाम अनिवार्य है।

मद सं.13.6.1 & 13.6.2:

घरेलू और विदेशी बैंकिंग इकाई दोनों के लिए विस्तृत पता लिखा जाना है।

मद सं.13.6.3 & 13.6.4:

घरेलू बैंकिंग इकाई के लिए पोस्ट ऑफिस का नाम और उसका पिन कोड लिखा जाना है।

मद सं.13.7:

भू-निर्देशांक यानी देशांतर और अक्षांश (6 दशमलव स्थान तक) लिखा जाना है।

मद सं.13.8.1:

फिक्स्ड प्वाइंट बीसी आउटलेट के मामले में, फिक्स्ड प्वाइंट बीसी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम दिया जाएगा। बैंकिंग आउटलेट/ कार्यालय/ एनएआईओ के पदनाम में बैंकिंग आउटलेट/ कार्यालय/ एनएआईओ के प्रभारी को दिया जाएगा।

मद सं.13.8.2, 13.8.3,13.8.4 & 13.8.5:

एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर, फैंक्स नंबर (यदि कोई है), और ई-मेल आईडी सहित लैंडलाइन नंबर दिया जाएगा।

मद सं.14:

बैंकिंग यूनिट फुल टाइम है या पार्ट टाइम, उसे चुने जाने की जरूरत है और प्रत्येक दिन खुले रहने के समय का उल्लेख किया।

मद सं.15:

बैंकिंग इकाई द्वारा सेवा प्रदान किए गए अतिरिक्त केंद्रों को ड्रॉप-डाउन मेनू से चुना जाना है। प्रत्येक केंद्र, राज्य, जिला और उप-जिले के अनुरूप भी चुने जाने की आवश्यकता है।

मद सं.16.1:

बैंकिंग आउटलेट (बीऔरएम शाखाओं/ फिक्स्ड पॉइंट बीसी आउटलेट) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का चयन करने की आवश्यकता है। यदि यह एक से अधिक सेवा दे रहा है तो एकाधिक चयन किए जा सकते हैं। यदि इसके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है, तो 16.1.13 को भी चुने जाने की आवश्यकता है और इसके विवरण का भी उल्लेख किया जाना है।

मद सं.16.2:

कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का चयन करने की आवश्यकता है। यदि यह एक से अधिक सेवा दे रहा है तो कई चयन किए जा सकते हैं। यदि इसके द्वारा कोई अन्य सेवा प्रदान की जाती है, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं है, तो 16.2.11 को भी चुने जाने की आवश्यकता है और इसके विवरण का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

मद सं.17:

यदि बीऔरएम शाखा/ कार्यालय विदेशी मुद्रा गतिविधि कर रहा है {पहले से ही विदेशी मुद्रा व्यापार (16.1.9) या विदेशी मुद्रा कार्यालय (16.2.3) का चयन कर चुका है} तो उसे 17.1 में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी का उल्लेख करना होगा और 17.2 में प्राधिकरण की तारीख देनी होगी।

मद सं.17.3:

यदि प्राधिकृत डीलर श्रेणी "सी" का चयन 17.1 में किया जाता है, तो उसके लिंक कार्यालय के भाग- I कूट का उल्लेख किया जाना चाहिए।

मद सं.18:

अन्य विशेषता

मद सं.18.1:

यदि प्रोफार्मा अन्य फिक्स्ड लोकेशन सीएसपी - इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं (8.1.1) के लिए है, चाहे वह मानव द्वारा संचालित हो या स्वचालित हो।

मद सं.18.2:

निश्चित बिंदु बीसी आउटलेट के मामले में, भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन (आईबीए) बीसी के पंजीकरण नंबर का उल्लेख किया जाना है।

मद सं.19:

यदि आरबीआई के साथ साझा करने के लिए कुछ शेष है या कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी दी जानी है, तो विस्तार से दिया जाना है।

ढद सं.20:

डरणाली द्दवारा ढाग- I जेनरेट किया जाएगा

ढद सं.21:

डरणाली द्दवारा ढाग- II जेनरेट किया जाएगा

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक

बैंकिंग सांख्यिकी डुरभाग

सांख्यिकी और सूचना डुरबंध विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय

सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (डूरव)

डुंबई - 400 051